FAMILY COURT, BHOJPUR, ARA
Matrimonial Case No 383/2023

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature	Office action taken with date
	10-03-2026	पत्रावली प्रस्तुत की गयी। आवेदक की हाजिरी है। पुकारा कराया गया। पुकार पर न तो आवेदक और न ही उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये। अभिलेख का अवलोकन किया। बार–बार पुकार कराये जाने के बाजवूद आवेदक अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आये। आदेश फलक के अवलोकन से विदित होता है कि वाद कई तिथियों से न्यायालय आदेश का पालन नहीं कर रहा है। आवेदक का यह आचरण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि हस्तगत वाद को आगे जारी रखने में उनकी कोई रूची नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में इसे आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। उपरोक्त परिस्थतियों में हस्तगत वाद को पुकार पर आवेदक की अनुपस्थिति तथा न्यायालय आदेश का पालन न करने के आधार पर खारिज किया जाता है। कार्यालय हस्तगत वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करावें। लेखापित (आशुतोष कुमार) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।	